



# CURRENT AFFAIRS

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

**DATE: 16-05-25** 







# The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE Friday, 16 May, 2025

# **Edition: International Table of Contents**

Page 01 Syllabus: GS 2: Indian Polity	तिमलनाडु के मुख्यमंत्री ने राज्य विधेयकों पर कार्रवाई करने की समयसीमा के बारे में शीर्ष न्यायालय को भेजे गए राष्ट्रपति के संदर्भ की निंदा की
Page 01 Syllabus: GS 3: Indian Economy	अप्रैल में व्यापार घाटा बढ़कर 8.65 बिलियन डॉलर हो गया, क्योंकि माल का आयात बढ़ गया
Page 03 Syllabus: GS 3: Environment	कांचा गाचीबोवली वन को बहाल करें या अधिकारियों को जेल जाने का जोखिम: सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना से कहा
Page 06 Syllabus: GS 2: Social Justice	गिग वर्कर्स की बैठक में न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा की मांग की गई
Page 07 Syllabus: GS 2: Social Justice	स्वस्थ हृदय का विकास: बचपन के उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए स्कूली पोषण की पुनर्कल्पना
Page 08 : Editorial Analysis: Syllabus : GS 3 : Internal security	मणिपुर मुद्दे के प्रति दृष्टिकोण का विरोधाभास





#### Page 01: GS 2: Indian Polity

भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को एक दुर्लभ राष्ट्रपति संदर्भ भेजा है, जिसमें इस बात पर स्पष्टता मांगी गई है कि क्या न्यायपालिका संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्य विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकती है और प्रक्रियाएँ निर्धारित कर सकती है। यह तमिलनाडु से संबंधित एक

हालिया फैसले के बाद आया है, जहाँ राज्यपाल ने 10 राज्य विधेयकों को मंजूरी देने में देरी की, जिससे कानूनी और राजनीतिक खींचतान शुरू हो

# संवैधानिक पृष्ठभूमि:

- अनुच्छेद 200: राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को मंजूरी देने, उसे रोकने या आरक्षित करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 201: राज्यपाल द्वारा विधेयक को आरक्षित किए जाने पर राष्ट्रपति के विकल्पों से संबंधित है।
- अनुच्छेद 143: राष्ट्रपति को कानून या सार्वजनिक महत्व के तथ्य के प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 142: सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 361: राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान अदालती कार्यवाही से छूट प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 145(3): यह आवश्यक है कि कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय कम से कम पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा किया जाए।

## राष्ट्रपति संदर्भ में उठाए गए मुख्य मुद्देः

क्या न्यायपालिका राष्ट्रपति/राज्यपालों पर अनुच्छेद 200/201 के तहत समय सीमा लगा सकती है, जबिक संविधान में स्वयं कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है?

# T.N. CM slams Presidential Reference to top court on timeline to act on State Bills

<u>The Hindu Bureau</u> NEW DELHI/CHENNAI

Strongly condemning a Presidential Reference to the Supreme Court under Article 143 of the Constitu tion on the timeline imposed for Governors and the President to act on nister M.K. Stalin on Thursday said it was a desperate attempt to weaken demo-cratically elected State governments by placing them under the control of Governors serving agents of the Centre.

President Droupadi Murmu, in a rare move, had sought the opinion of Supreme through a Presidential Reference on Tuesday, on whether the court can "impose" timelines and prescribe the manner of conduct of Governors and the President while dealing with State Bills sent to them for assent or reserved for consideration. Broadly, the Reference asked if judicial orders can dictate by what time and how the President and Governors should function under Articles 200 and 201 of the Constitution.

Mr. Stalin dubbed the move as "an attempt to subvert the Constitutional position" settled by the top court in the Tamil Nadu case against the Governor

and other precedents. The President's move to seek clarity arose from an April 8 judgment of Bench of Justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan in a petition filed by the Tamil Nadu government challenging the Governor's de-lay in clearing 10 re-passed Bills and his subsequent action to reserve them for

#### Question of clarity

President Droupadi Murmu has sought clarity from the Supreme Court on the 'scope and contours' of Article 142

Reference: Reference:
Article
143 of the
Constitution
empowers the
President to
seek advice
from the Supreme Court on questions of law or fact, present or future, of public importance

The President has raised 14 questions which include: ■ Can SC impose

sent to Bills be given through a judicial order?

■ What are constitudictate the manne tional options before of exercise of a Governor when of exercise of powers by Governors and the President under Article 200, 201, rea Bill is sent for a Bill is sent for his assent. Is he bound by the aid and advice of the Council of Ministers?

consideration by the Presi-

The Reference asked whether, in the absence of any constitutionally pre-scribed time limit for Governors and President, time limits could be imposed and manner of exercise of powers be prescribed through judicial orders. "Can the Constitutional powers of the President/Governors be substituted by a judicial order exercising Article 142? Is Article 142 limited to matters of procedural law or does it extend to issuing directions contrary to or in-consistent with existing substantive or procedural provisions of the Constitution?" it asked.

Indirectly questioning ne validity of the the validity of the "deemed" assent, the Reference has queried if a law made by a State Legislature could even "be considered a law in force without the assent of the Governor". "Are decisions of the Governor and the President under Articles 200 and 201, respectively, justiciable at a stage prior to even the Bill in question becoming a law?" it asked.

It said the "concept of deemed assent" of the President and the Governor, introduced in the judg ment, was alien to the con stitutional scheme

The Reference has also raised questions about a two-judge Bench of the court pronouncing judg-ments on "substantial questions of law... without referring it to a minimum five-judge Bench as pre-scribed under Article 145 (3) of the Constitution.

The Reference further asked the court to clarify the constitutional options before a Governor when a Bill is presented to him under Article 200. It raised doubts as to whether the 'constitutional discretion' of Governors and the President under Articles 200 and 201, respectively, was even justiciable. "Is Article 361 of the Constitution [im munity given to President and Governors from legal action while in officel an absolute bar to judicial review in relation to the actions of a Governor under Article 200?" the Presidential Reference sought.

- क्या अनुच्छेद 142 का उपयोग संवैधानिक प्रावधानों को दरिकनार करने या ऐसी समयसीमाएँ लगाने के लिए किया जा
- क्या "मान्य स्वीकृति" (अर्थात, समय बीत जाने के बाद स्वीकृति को स्वीकृत मानना) की अवधारणा संवैधानिक रूप से वैध है?

#### **DAILY CURRENT AFFAIRS**





- क्या विधेयक के कानून बनने से पहले राज्यपालों/राष्ट्रपति के कार्यों को न्यायोचित ठहराया जा सकता है?
- क्या अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 200 के तहत लिए गए निर्णयों की न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है?
- क्या दो न्यायाधीशों वाली पीठ के बजाय एक बड़ी पीठ को ऐसे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों पर निर्णय लेना चाहिए?

#### राजनीतिक और कानूनी महत्व:

- तिमलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राष्ट्रपित के संदर्भ की आलोचना की है, इसे राज्य की स्वायत्तता को कम करने और राज्यपालों को केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करने का अधिकार देने के लिए एक राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम बताया है।
- यह मामला तिमलनाडु के राज्यपाल द्वारा की गई देरी से उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण राज्य ने एक याचिका दायर की और सर्वोच्च न्यायालय ने अनिश्चितकालीन निष्क्रियता पर सवाल उठाया।
- 8 अप्रैल के फैसले को संवैधानिक अधिकारियों की संवैधानिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में देखा गया
   था, लेकिन अब इसे अतिक्रमण के लिए समीक्षा की जा रही है।

#### महत्वपूर्ण विश्लेषण:

- राष्ट्रपति का संदर्भ संवैधानिक सीमाओं की व्याख्या को लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक गंभीर संस्थागत संघर्ष को इंगित करता है।
- यह संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किए गए मान लिए गए सिद्धांत जैसे कि मान लिए गए सिद्धांत को पेश करने में न्यायिक रचनात्मकता के बारे में सवाल उठाता है।
- साथ ही, यह संवैधानिक प्रक्रियाओं में शून्यता को उजागर करता है सहमित के लिए कोई समय सीमा नहीं है, जिससे संभावित रूप से अनिश्चितकालीन देरी हो सकती है।
- यह मुद्दा यह भी उजागर करता है कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में विधायी मंशा को दबाने के लिए राज्यपालों का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है।

#### निष्कर्ष:

 यह घटनाक्रम न्यायिक निगरानी, कार्यकारी विवेक और संघीय सिद्धांतों के बीच संवैधानिक संतुलन की परीक्षा है। इस संदर्भ पर सर्वोच्च न्यायालय की राय भविष्य के केंद्र-राज्य संबंधों, राज्यपालों की भूमिका और विधायी प्रक्रियाओं में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा को आकार दे सकती है।





#### **UPSC Prelims Practice Question**

प्रश्न: भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार करें:

- 1. अनुच्छेद 142
- 2. अनुच्छेद 143
- 3. अनुच्छेद 200
- 4. अनुच्छेद 361

उपर्युक्त में से कौन राज्य विधान के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2, 3 और 4
- c) केवल 1, 2 और 3
- d) केवल 1, 3 और 4

उत्तर: b)

#### **UPSC Mains Practice Question**

प्रश्न: संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर न्यायिक समीक्षा के दायरे और सीमाओं की जाँच करें। आपके विचार में, क्या राज्यपालों के लिए विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए समयबद्ध आदेश होने चाहिए? औचित्य सिद्ध करें। (250 words)





#### Page 01 : GS 3 : Indian Economy

भारत का कुल व्यापार घाटा (माल + सेवाएँ) अप्रैल 2025 में बढ़कर 8.65 बिलियन डॉलर हो गया, जो अप्रैल 2024 में 5.77 बिलियन डॉलर था। जबिक माल निर्यात में 9% की वृद्धि हुई, आयात में 19.1% की बहुत अधिक दर से वृद्धि हुई, जिससे माल व्यापार घाटा बढ़कर 26.4 बिलियन डॉलर हो गया। हालाँकि, सेवा क्षेत्र ने मजबूत सेवा निर्यात के कारण 17.77 बिलियन डॉलर के व्यापार अधिशेष के साथ मजबूत प्रदर्शन जारी रखा।

# Trade deficit grows to \$8.65 billion in April as merchandise imports rise


#### The Hindu Bureau

NEW DELHI

India's total trade deficit, counting both merchandise and services, widened to \$8.65 billion in April, compared with \$5.77 billion in April last year, according to the data from the Ministry of Commerce and Industry released on Thursday.

While briefing the media, Commerce Secretary Sunil Barthwal also mentioned that India's total exports, including merchandise and services, stood at \$824.9 billion in 2024-25, the highest-ever, up 6% from 2023-24.

Merchandise exports



grew 9% to \$38.49 billion in April 2025, while the imports of goods grew at a significantly faster 19.1% to \$64.91 billion, as compared to the same month of last year. The merchandise trade deficit, there-

fore, widened to \$26.4 billion in April this year, as compared to \$19.19 billion last year. Exports of tobacco (66.43%), coffee (47.85%), electronic goods (39.51%), mica, coal other ores and minerals

(34.43%), fruits and vegetables (30.72%), and marine products (17.81%) marked a growth in April 2025.

The services sector, however, witnessed the opposite trend, with exports widening their lead over imports. Services exports for April, an estimation because the final data from the Reserve Bank of India arrives with a month's lag, grew 17% in April 2025 to \$35.31 billion. Services imports, on the other hand, grew just 4.6% to \$17.54 billion in April, taking the services trade surplus to \$17.77 billion.

#### **RELIEF IN SERVICE**

» PAGE 12

### मुख्य शब्दों की व्याख्या:

- व्यापार घाटा: तब होता है जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है।
- व्यापारिक व्यापार: भौतिक सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, भोजन, आदि।
- सेवा व्यापार: इसमें आईटी, वित्त, परामर्श, शिक्षा, पर्यटन आदि शामिल हैं।
- व्यापार अधिशेष: जब किसी विशेष क्षेत्र में निर्यात आयात से अधिक होता है, जैसे कि सेवाएँ।





#### डेटा हाइलाइट्स:

- कुल व्यापार घाटा (अप्रैल 2025): \$8.65 बिलियन (अप्रैल 2024 में \$5.77 बिलियन से बढ़कर)
- व्यापारिक निर्यात: \$38.49 बिलियन (↑ 9%)
- व्यापारिक आयात: \$64.91 बिलियन (↑ 19.1%)
- व्यापारिक व्यापार घाटा: \$26.4 बिलियन
- सेवा निर्यात (अनुमानित): \$35.31 बिलियन (↑ 17%)
- सेवा आयात (अनुमानित): \$17.54 बिलियन (↑ 4.6%)
- सेवा व्यापार अधिशेष: \$17.77 बिलियन
- वित्त वर्ष 2024-25 में कुल निर्यात (वस्तुएँ + सेवाएँ): \$824.9 बिलियन (रिकॉर्ड उच्च, ↑ 6% YoY)

#### प्रारंभिक प्रासंगिकता:

- बुनियादी समझ व्यापार घाटा, चालू खाता, भुगतान संतुलन।
- निर्यात-आयात प्रवृत्तियों, विशेष रूप से माल बनाम सेवाओं के बारे में जागरूकता।
- निर्यात में वृद्धि वाले प्रमुख क्षेत्र: तम्बाकू, कॉफी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, समुद्री उत्पाद, फल और सब्जियाँ।

#### मुख्य प्रासंगिकताः

- बढ़ते व्यापार घाटे के निहितार्थ:
- चालू खाता शेष के लिए नकारात्मक: बढ़ता व्यापार घाटा चालू खाते पर दबाव डालता है, जिससे मुद्रा अवमूल्यन और विदेशी मुद्रा की कमी का जोखिम बढ जाता है।
- आयात निर्भरताः आयात में तेज वृद्धिं विदेशी वस्तुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और पूंजीगत वस्तुओं पर उच्च निर्भरता को इंगित करती है।
- मुद्रास्फीति जोखिम: बढ़ा हुआ आयात बढ़ती घरेलू मांग को दर्शा सकता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप उच्च आयातित मुद्रास्फीति भी हो सकती है, खासकर अगर रुपया कमजोर होता है।
- सेंवा क्षेत्र में विपरीत: सेवा निर्यात का मजबूत प्रदर्शन माल व्यापार घाटे को आंशिक रूप से ऑफसेट करने में मदद करता है और चालू खाता संतुलन का समर्थन करता है।

#### संरचनात्मक आर्थिक निष्कर्ष:

- विविध निर्यात आधार: कृषि (कॉफी, फल), खनिज और इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात में वृद्धि क्षेत्रीय विविधीकरण का संकेत देती है।
- भारत की डिजिटल और आईटी ताकतः लगातार सेवा अधिशेष आईटी, फिनटेक, परामर्श और अन्य सेवाओं में भारत की निरंतर ताकत को दर्शाता है।
- नीतिगत निहितार्थः विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और पूंजीगत वस्तुओं में आयात निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू विनिर्माण (मेक इन इंडिया) को बढावा देने की आवश्यकता है।





#### निष्कर्षः

 जबिक भारत ने कुल निर्यात में रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन व्यापारिक आयात में असंगत वृद्धि ने व्यापार घाटे को बढ़ा दिया है। सेवा क्षेत्र की लचीलापन अभी भी एक बफर के रूप में बना हुआ है, लेकिन विशेष रूप से उच्च आयात वाले क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन और निर्यात प्रतिस्पर्धा को मजबूत करके कमजोरियों को कम करने के लिए दीर्घकालिक नीतिगत प्रयासों की आवश्यकता है।

#### **UPSC Prelims Practice Question**

प्रश्न: अप्रैल 2025 में भारत के व्यापार प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. भारत का माल निर्यात माल आयात की तुलना में तेज़ी से बढ़ा।
- 2. इसी अवधि के दौरान सेवा क्षेत्र ने व्यापार अधिशेष दर्ज किया।
- 3. अप्रैल 2024 की तुलना में भारत का समग्र व्यापार घाटा कम हुआ।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

उत्तर: b)

#### **UPSC Mains Practice Question**

प्रश्न: रिकॉर्ड निर्यात प्रदर्शन के बावजूद, अप्रैल 2025 में भारत का बढ़ता व्यापार घाटा अंतर्निहित संरचनात्मक चुनौतियों को उजागर करता है। व्यापार घाटे में वृद्धि के कारणों और भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता पर इसके प्रभावों पर चर्चा करें। (250 words)





#### Page: 03: GS 3: Environment

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हैदराबाद में कांचा गाचीबोवली वन में अवैध वनों की कटाई को लेकर तेलंगाना सरकार को कड़ी चेतावनी जारी की है, जहाँ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई की गई थी। न्यायालय ने राज्य को दो विकल्प दिए हैं: या तो जंगल को बहाल करें या मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों को जेल में डालने का सामना करें।

# Restore Kancha Gachibowli forest or risk jail for officials: SC to Telangana

Supreme Court raps State authorities over illegal deforestation; IT infrastructure and ecology could go hand in hand, argues State's counsel; Chief Justice Gavai asks why felling of trees was initiated during a long weekend when courts were closed

#### Krishnadas Rajagopal NEW DELHI

he Supreme Court on Thursday gave the State of Telangana a choice between restoring the ruined acres of Kancha Gachibowli forest where trees were felled for an IT infrastructure project during an extended weekend or face the prospect of its Chief Secretary and "half a dozen officials" being sent to a "temporary prison".

"It is for the State to make a choice between restoring the forest or having the Chief Secretary and officials in prison," Chief Justice B.R. Gavai stated firmly on Thursday.

Senior advocate A.M. Singhvi, appearing for Telangana, said the State deserved its day in court to persuade that IT and ecology could go together.

"We have always been advocates of sustainable development. But the question here is the felling of thousands of trees" the Chief Justice reacted.

#### Forest Survey report

Mr. Singhvi maintained that "thousands" of trees were not cut. "We have seen the photographs,"



**Nature's loss**: An excavator seen on the 400-acre land in Kancha Gachibowli, in Hyderabad last month. SIDDHANT THAKUR

Chief Justice Gavai responded.

Amicus curiae, senior advocate K. Parameshwar, drew the attention of the court to a finding in a Forest Survey of India report that out of the 104 acres cut in two nights, over 60% had been moderately and heavily dense forest.

The State had previous-

ly denied the land was a forest. The claim had sprung up only after developmental activities commenced following the allotment of the land to the Telangana Industrial Infrastructure Corporation. Mr. Singhvi said the intention of the State was bona fide.

"If your intention was bona fide, why did you start the felling of the trees at the beginning of a long weekend when courts were closed?" Chief Justice Gavai responded.

The court scheduled the case for further hearing on July 23.

#### मुख्य घटनाक्रम:

- पेड़ों की कटाई लंबे सप्ताहांत पर हुई, जब अदालतें बंद थीं, जिससे इरादे और समय पर सवाल उठे।
- राज्य ने शुरू में इस बात से इनकार किया कि यह ज़मीन जंगल थी, लेकिन भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि काटी गई 60% से ज़्यादा ज़मीन मध्यम से लेकर घने जंगलों वाली थी।
- ज़मीन विकास के लिए तेलंगाना औद्योगिक अवसंरचना निगम को आवंटित की गई थी।
- राज्य के वकील ने सतत विकास के लिए तर्क दिया, जिसमें कहा गया कि आईटी और पारिस्थितिकी एक साथ रह सकते हैं।
- हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय विशेष रूप से बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई के गुप्त समय और फोटोग्राफिक साक्ष्य के कारण इससे सहमत नहीं था।





#### प्रारंभिक विश्लेषण:

- पर्यावरण शासनः भारतीय वन सर्वेक्षण की भूमिका, वन वर्गीकरण।
- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत पर्यावरण संरक्षण में न्यायिक हस्तक्षेप।
- न्यायिक जवाबदेही उपकरण: अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अवमानना और कारावास की धमकी।

#### मुख्य विश्लेषण:

- पर्यावरण शासन और जवाबदेही:
  - अनियमित विकास से पारिस्थितिक संपत्तियों की रक्षा करने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है।
  - कानूनी जांच से बच्ने के लिए राज्य की पारदर्शिता और लंबे सप्ताहांत के दुरुपयोग पर चिंता जताता है।
  - आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संघर्ष को उजागर करता है।
  - शहरों में बुनियादी ढांचे के विस्तार के बीच बढ़ते मुद्दे, शहरी वन हानि पर ध्यान केंद्रित करता है।

#### सतत विकास बहस:

- उचित पर्यावरणीय मंजूरी, सार्वजनिक परामर्श या पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) की कमी को दर्शाता है।
- इस बात पर जोर देता है कि "हरित बुनियादी ढांचा" केवल एक नीतिगत नारा नहीं है, बल्कि एक कानूनी जिम्मेदारी है।

#### निष्कर्षः

 यह मामला दर्शाता है कि न्यायपालिका शक्तिशाली राज्य अभिनेताओं पर भी पर्यावरणीय जवाबदेही कैसे लागू कर रही है। यह याद दिलाता है कि विकास पारिस्थितिक मानदंडों को दरिकनार नहीं कर सकता है, और सतत विकास को बयानबाजी से अधिक होना चाहिए।

#### **UPSC Mains Practice Question**

प्रश्न: न्यायिक सक्रियता भारत में पर्यावरण शासन में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गई है। कांचा गाचीबोवली वन मामले में हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा करें। (250 words)





#### Page 06: GS 2: Social Justice

दिल्ली में जनपहल एनजीओ और गिग वर्कर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में भारत में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई। बैठक में इन श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कानूनी संरक्षण के साथ-साथ राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर त्रिपक्षीय कल्याण बोर्ड की स्थापना की मांग की गई।

# Gig workers' meeting demands minimum wages, social security

The Hindu Bureau

NEW DELHI

A roundtable held here on Thursday on platform work in the country recommended minimum wages, social security and legal protections for gig and platform workers. The meeting demanded a tripartite welfare Board for gig workers in all States and at the Central level comprising representatives from employees, employers and governments.

The meeting, titled "Current developments, challenges and way forward", organised by a nongovernmental organisation, Janpahal, and the Gig Workers Association decided to foster dialogue between stakeholders to identify the way forward in ensuring gig workers' rights within the context of existing policy develop-



**Voicing concerns:** At the roundtable held in Delhi on Thursday, gig workers highlighted the 'harsh realities' they face in the sector. PTI

ments. Janpahal secretary Dharmendra Kumar said the outcome of the meeting would be sent to the policymakers so that a more equitable gig economy could be created in the country.

Representatives from the Union and State governments and international organisations addressed the meeting. The testimonies shared by workers in the meeting pointed towards "harsh realities of work" in the sector. "The dictatorial and insensitive attitude of the companies is a regular feature in their life. There are no avenues of redress. Their IDs are blocked, and they are thrown out of work for the smallest mistakes or no mistakes. Society also looks at them with disrespect. Most of these workers are not yet organised, and there are only a few initiatives to organise them. Companies are thwarting any attempts by the workers to organise and unionise themselves. Any initiative for organising, protesting and raising demands is met with termination of work," a statement issued after the meeting said.

The meeting demanded a minimum wage/income for the workers based on their logged-in hours. "The continuous reduction in the rate cards for workers should be stopped," it demanded adding that surcharge collected from consumers should be properly shared with the workers.

It also urged the Centre to declare a social security policy for online platform workers.





#### गिग और प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था पर पृष्ठभूमि:

- गिग कर्मचारी स्वतंत्र ठेकेदार या फ्रीलांसर होते हैं जिन्हें अस्थायी या कार्य-आधारित आधार पर काम पर रखा जाता है।
- प्लेटफ़ॉर्म कर्मचारी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (जैसे, फ़ूड डिलीवरी, राइड-हेलिंग ऐप) के ज़िरए काम करते हैं।
- भारत में गिग अर्थव्यवस्था तेज़ी से फैल रही है, लेकिन श्रम सुरक्षा में तेज़ी नहीं आई है।

## मुख्य मुद्दे उजागर हुए:

- कोई न्यूनतम आय गारंटी नहीं: श्रमिकों को अप्रत्याशित एल्गोरिदम और प्रोत्साहन के आधार पर भुगतान किया जाता है।
- शिकायत निवारण का अभाव: श्रमिकों को मनमाने ढंग से आईडी ब्लॉक करने और बिना किसी स्पष्टीकरण के नौकरी से निकाले जाने का सामना करना पड़ता है।
- यूनियन बनाने से इनकार: संगठित होने के प्रयासों को कंपनियों द्वारा हतोत्साहित या दंडित किया जाता है।
- सामाजिक कलंक और मान्यता की कमी: समाज अक्सर उन्हें अनौपचारिक या 'गैर-गंभीर' श्रमिकों के रूप में मानता है।
- दर में कटौती के ज़िरए शोषण: प्लेटफ़ॉर्म द्वारा प्रति-कार्य भुगतान दरों में लगातार कमी।
- कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले अधिभार में कोई हिस्सा नहीं।

#### उठाई गई मांगें:

- लॉग-इन घंटों के आधार पर न्यूनतम वेतन/आय, न कि केवल कार्य पूरा होने के आधार पर।
- राष्ट्रीय स्तर पर गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा नीति।
- श्रमिकों, नियोक्ताओं और सरकार के प्रतिनिधित्व के साथ त्रिपक्षीय कल्याण बोर्ड।
- अनुचित बर्खास्तगी और भेदभाव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा।
- दर कार्ड में पारदर्शिता और अधिभार का उचित बंटवारा।

#### मुख्य विश्लेषण:

#### 1. शासन और श्रम अधिकार:

- डिजिटल नवाचार और श्रम नीति के बीच अंतर को उजागर करता है।
- o श्रम कानूनों (जैसे, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020) के तहत गिग श्रमिकों की कानूनी मान्यता की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है।
- काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने के लिए निर्देशक सिद्धांतों (अनुच्छेद 43) के तहत राज्य की जिम्मेदारी को दर्शाता है।





#### 2. सामाजिक न्याय और समानता:

- डिजिटल अर्थव्यवस्था में बढ़ती अनौपचारिकता की ओर इशारा करता है, जिसमें श्रमिकों की सुरक्षा की कमी है।
- लाखों लोगों, खासकर युवाओं और प्रवासियों की आजीविका सुरक्षा को प्रभावित करता है।
- नए युग के कार्यस्थलों में समावेशी नीतियों की आवश्यकता को बढ़ाता है।

#### 3. आर्थिक और सामाजिक नीति:

- प्लेटफ़ॉर्म नवाचार और श्रमिक कल्याण के बीच संतुलन बनाने की चुनौतियाँ।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था में असमानता बढने का जोखिम।
- शहरी सेवाओं के लिए गिग वर्कर ज़रूरी हैं, फिर भी वे आर्थिक और कानूनी रूप से कमज़ोर बने हुए हैं।

#### निष्कर्षः

• यह बैठक तेजी से बढ़ते लेकिन अत्यधिक असुरक्षित श्रम वर्ग की चिंताओं को व्यक्त करने की दिशा में एक कदम है। भारत की गिग अर्थव्यवस्था को वास्तव में समावेशी बनाने के लिए, नीति निर्माताओं को डिजिटल युग में निष्पक्ष व्यवहार और काम की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मजदूरी गारंटी, सामाजिक सुरक्षा और कानूनी मान्यता जैसी सुरक्षा को संस्थागत बनाना होगा।

#### **UPSC Mains Practice Question**

प्रश्न: भारत में गिग और प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि के साथ-साथ पर्याप्त श्रम सुरक्षा भी नहीं हो पाई है। गिग श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों की आलोचनात्मक जांच करें और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएँ। (250 words)





#### Page 07: GS 2: Social Justice

भारत में बचपन में उच्च रक्तचाप के मामलों में चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है, एनएफएचएस-5 और सीएनएनएस जैसे सर्वेक्षणों से पता चलता है कि किशोरों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत (12% तक) पहले से ही उच्च रक्तचाप के स्तर से ग्रस्त है। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से स्कूल-आधारित पोषण कार्यक्रमों, विशेष रूप से पीएम पोषण (मिड-डे मील) योजना के माध्यम से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता को उजागर करती है।

# Raising healthy hearts: reimagining school nutrition to tackle childhood hypertension

#### Anuja Agarwala

It is easy to think of high blood pressure as something that happens later in life. But in India, that assumption is starting to look dangerously outdated. More and more children are being diagnosed with elevated blood pressure, and many of them do not even know it. It is not until adolescence or adulthood that the signs become too loud to ignore.

The numbers tell a worrying story. The Comprehensive National Nutrition Survey (CNNS) from 2016-18 found that 7.3% of Indian adolescents had hypertensive blood pressure levels. That number climbs to 9.1% in urban areas. Then there is the National Family Health Survey-5 (NFHS-5), which shows that 12% of teens aged 15-19 already have elevated blood pressure. These are not isolated cases. This is a trend. And it points to one very clear takeaway: if we want to tackle hypertension, we have to start early. Really early.

There are a few things feeding into this trend – rising childhood obesity, less physical activity, and a lifestyle that has shifted indoors and online. But if we had to name the biggest culprit, it would



Structured food education and balanced menus can transform lunch into a launchpad for lifelong health. FILE PHOTO

probably be the food our children are eating.

Walk into any grocery store or school canteen, and the reality hits you. Processed snacks that promise flavour and convenience in seconds. And they are taking a toll. On average, Indian adolescents are consuming more than 8 grams of salt a day. That is almost double the World Health Organization's recommended limit for adults. Most of it comes from packaged snacks, fast foods, and street-side treats that are heavy on salt and low on nutrition.

Over time, children develop a

preference for these hyper-palatable foods, while their tolerance for healthier options drops. They create habits, and those habits are forming early.

India's mid-day meal scheme (PM POSHAN) can become a pathway to break these habits early. As of 2025, the scheme now feeds approximately 120 million children across over 1.27 million schools, making it the largest school meal programme globally.

As the programme scales, there's an opportunity to evolve beyond basic nutrition. Can these meals also be a gateway to healthier food habits and greater food literacy? For many children, these meals are not just their main source of nourishment but also their first exposure to structured eating.

What if the next phase of PM POSHAN combined nutritional targets with efforts to cultivate a more joyful, educational relationship with food? Could we introduce regionally-inspired menus, fresh produce, or even involve students in food preparation and learning?

For inspiration, we can look to Japan, where the concept of *ShoKuiku*, food education, is woven into school life. Children

help plan meals, learn where their food comes from, and serve lunch to their classmates. They study nutrition and food origins. It is a simple yet powerful approach, which helps children understand how to make better choices. And the results speak for themselves: lower rates of childhood obesity and a healthier relationship with eating. If Japan seems too far removed from India's realities, consider Vietnam. Their Ministry of Education teamed up with Ajinomoto to improve school lunches by adapting the ShoKuiku model in 2012.

We need to bring that same ambition into our schools. We can do this by elevating PM POSHAN scheme into a food-literacy engine, and reshaping habits, palates, and minds.

(Dr. Anuja Agarwala is a senior genetic metabolic nutrition consultant and national vice-president, Indian Dietetic Association anujaaiims@gmail.com)

#### For feedback and suggestions

for 'Science', please write to science@thehindu.co.in with the subject 'Daily page'

#### मुख्य मुद्देः

- बचपन में उच्च रक्तचाप में वृद्धिः
  - o 7.3% किशोरों में उच्च रक्तचाप (CNNS 2016-18) है; शहरी क्षेत्रों में यह बढ़कर 9.1% हो गया है।





- o NFHS-5 से पता चलता है कि 15-19 वर्ष की आयु के 12% किशोर पहले से ही इससे प्रभावित हैं।
- अक्सर वयस्क होने तक इसका निदान नहीं हो पाता है, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा होते हैं।

#### कारण:

- खराब आहार (उच्च सोडियम प्रसंस्कृत भोजन, स्ट्रीट स्नैक्स)।
- कम शारीरिक गतिविधि और गतिहीन जीवन शैली (स्क्रीन टाइम, इनडोर प्ले)।
- अस्वास्थ्यकर खाने की आदतों और स्वाद वरीयताओं का जल्दी बनना।

#### स्कूल पोषण की भूमिका:

- पीएम पोषण (मिड-डे मील योजना):
  - o 1.27 मिलियन स्कूलों में 120 मिलियन से अधिक बच्चों को भोजन उपलब्ध कराता है।
  - आहार संबंधी आदतों में शुरुआती हस्तक्षेप के लिए एक मंच बन सकता है।
  - वर्तमान में भूख और बुनियादी पोषण को संबोधित करता है, लेकिन खाद्य साक्षरता या व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है।

#### • सुधार का अवसर:

- ताजा उपज के साथ संतुलित, क्षेत्रीय रूप से प्रासंगिक मेनू पेश करें।
- भोजन की योजना बनाने और तैयार करने में छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करें।
- स्थायी आदतें और जागरूकता बनाने के लिए संरचित खाद्य शिक्षा को शामिल करें।

#### प्रेरणा के लिए वैश्विक मॉडल:

- जापान का शोकुइकू कार्यक्रम:
  - स्कूल के दिन में खाद्य शिक्षा को एकीकृत करता है।
  - बच्चे भोजन की योजना बनाते हैं, भोजन की उत्पत्ति सीखते हैं और सहपाठियों को परोसते हैं।
  - o परिणाम: बचपन में मोटापे की दर कम हुई, पोषण की बेहतर समझ।

#### • वियतनाम का अनुकूलन:

- शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल के भोजन में शोकुइकू सिद्धांतों को लागू करने के लिए अजिनोमोटो (2012) के साथ सहयोग किया।
- दर्शाता है कि ऐसे मॉडल विकासशील देशों में भी अनुकूलनीय हैं।





#### मुख्य विश्लेषण:

- पीएम पोषण की प्रभावशीलता और क्षमता का मूल्यांकन न केवल एक कल्याणकारी कार्यक्रम बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप के रूप में करें।
- शिक्षा और कल्याण के माध्यम से गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) को जल्दी से जल्दी संबोधित करने में राज्य और केंद्र सरकारों की भूमिका।
- बचपन में उच्च रक्तचाप की बढ़ती समस्या एक सार्वजिनक स्वास्थ्य संकट है।
- स्थायी परिणामों के लिए पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य का एकीकरण।
- उपचारात्मक दृष्टिकोणों की तुलना में निवारक स्वास्थ्य रणनीतियों का महत्व।

#### निष्कर्षः

 बचपन में उच्च रक्तचाप की मूक महामारी को संबोधित करने के लिए, भारत को स्कूली भोजन में कैलोरी की संख्या से आगे बढ़कर छोटी उम्र से ही भोजन के बारे में जागरूकता, साक्षरता और स्वस्थ आदतों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पीएम पोषण में न केवल पोषण योजना बनने की क्षमता है, बल्कि साहसिक और शैक्षिक इरादे से फिर से कल्पना की जाए तो यह आजीवन स्वास्थ्य और कल्याण की नींव बन सकती है।

#### **UPSC Mains Practice Question**

प्रश्न: प्रधानमंत्री पोषण योजना में खाद्य सुरक्षा पहल से कहीं अधिक बनने की क्षमता है - यह निवारक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक आधार बन सकती है। भारत में बढ़ते बाल उच्च रक्तचाप के संदर्भ में चर्चा करें। (250 words)





# **Page: 08 Editorial Analysis**

# The paradox of the approach to the Manipur issue

s the stalemated conflict in Manipur completes two years, the veritable wait for the Godot of political settlement continues to remain elusive. Despite unleashing a trail of devastation, the loss of over 250 lives and an unfolding human tragedy which compelled thousands of internally displaced persons to live in sub-human makeshift relief centres for over two years, Manipur's violence has not secured a high-order-of-national-priority. This is gallingly evident as Prime Minister Narendra Modi maintains his stoic refusal to visit the State and offer a definitive road map to break the impasse. This compares starkly with the topmost-priority accorded by him to the Pahalgam terror strike on April 22, which led to the curtailment of his official visit to Saudi Arabia and the announcement of policy measures.

The very short military stand-off between India and Pakistan and the swift response made eminent sense given the overwhelming and dominant mood of the nation that something decisive had to be done not only to decimate terrorist infrastructure across the Line of Control, but also penalise Pakistan for its alleged sponsorship of cross-border terrorism. As the stand-off and the terms of the understanding/ceasefire likely to be agreed upon by the two nuclear powers continue to take centre-stage, it is highly unlikely that Manipur's continuing human tragedy and political impasse will get the serious attention it deserves.

#### The approach to the northeast

What explains this paradox? And in what way does this follow a broader pattern of New Delhi's engagement with Manipur, and, by extension, Northeast India?

A clue lies in making a long-term assessment of New Delhi's approach to the Northeast, and for that matter Manipur, which is underscored by its obsession with national security and regime consolidation. Unlike Kashmir, which is the focus in a series of triangular conflicts with Pakistan and China, Manipur's case does not present an imminent threat to India's national security despite concerted efforts over the past two years to make this as such. Although both of India's adversaries were involved in the training of armed independentist groups such as the Naga National Council and its progeny, the NSCN-IM, the Mizo National Front, the United Liberation Front of Assam, and the United National Liberation Front, in the 1960s, 1970s and 1980s, their support to these groups remains remote and diminished.

However, because the policy mandarins in Delhi best understand the language of national security, concerted attempts had been made by certain quarters of valley-based civil society groups and self-professed national security experts to squarely blame Manipur's violence on 'lungi-clad' Kuki armed militants across the India-Myanmar border. A case in point is the failed attempt to amplify this threat by the then



#### <u>Kham Khan Suan</u> Hausing

is a Professor and former Head of the Department of Political Science, University of Hyderabad. He is also an Honorary Senior Fellow, Centre for Multilevel Federalism, Institute of Social Sciences, New Delhi

The stance on

what is also a

security issue is

problematic

national

Chief Minister's office in mid-September 2024 by invoking credible 'intelligent inputs' which forewarned imminent crossover and attack by over '900 Kuki militants' based in Myanmar with the capabilities to launch rocket launchers against Meitei villages. On hindsight, this security bluster was a half-clever ploy to whip up a majoritarian sense of insecurity and used that as a pretext to prepare the grounds for a series of offensive strikes against Kuki-Zomi-Hmar villages beyond the 'buffer zone' on the pretext of combing operations.

Interestingly, the protagonists of national security remain conspicuously muted on the more serious threat posed by the large-scale mobilisation of valley-based insurgent groups, or VBIGs and their foot soldiers in the wake of this violence since May 3, 2023. One immediate consequence of this is the outsourcing of law and order to these groups on the pretext that the State fails to protect villages which remained exposed to transgressions and offensive attacks across the buffer zone. This zone, ideated and enforced by the Indian paramilitary forces after Home Minister Amit Shah visited the State towards the end of May 2023, lies in the foothills and marks the point of territorial and demographic separation between the Meiteis and Kuki-Zomi-Hmars.

Such a problematic stance on a national security issue has also effectively neutralised the security gains obtained by India since it successfully flushed out VBIGs from their safe havens in the valley areas in Operation All-Clear (2004). Instead of prioritising substantive security issues such as an upscaling of intelligence-gathering capabilities, counterinsurgency skills, modernisation and professionalisation of the Indian Army and police, the Indian security policy continues to be stuck in a time-warp of political optics.

#### The case of fencing as an obsolete outlook

The unusual zeal with which New Delhi pushes the agenda of revoking the free movement regime and spending over ₹31,000 crore for fencing the 1,643 kilometre India-Myanmar border, including the 398 kilometre-long Manipur-Myanmar border, is clearly an instance of an obsolete security overdrive. While this may simultaneously cater to the perceived sense of insecurity whipped up by majoritarian groups based in the valley and eminently suit the pork-barrel brand of politics with promissory collateral benefits to contractors and brokers, the lines of divide are clearly apparent as the Naga, and Mizo, among others, have registered their staunch opposition. Unless such a policy framework is tailored to win the hearts and the minds of transborder people which seems to be the case here - it is neither likely to augment India's national security nor promote India's neighbourhood first policy via the Act East policy across the India-Myanmar border and beyond.

Unfortunately, a longitudinal assessment of

India's national security policy framework across political regimes demonstrates that it is driven more by political optics in ways which help consolidate political regimes, rather than being hard-wired in upskilling security infrastructure. This explains why beyond the public spectacle of holding piecemeal arms surrender events, no sincere effort is made to recover sophisticated arms (numbering over 6,000) and ammunition (numbering over 5,00,000) given away to armed groups since the outbreak of violence. Notwithstanding this, barely around 4,000 of the 6,020 arms snatched away from the State armouries have so far been deposited in response to the State government's call. Interestingly, 894 of these were deposited in response to two deadlines – announced by Governor Ajay Kumar Bhalla, on February 28, which was extended to March 6, 2025.

The self-congratulatory and nonchalant way in which voluntary arms surrender was pressed for political optics became evident on February 27, a day before the first dateline, when a cavalcade of the Arambai Tenggol, an armed militia accused of perpetrating atrocities against several Kuki-Zomi-Hmar villages, marched across the streets and surrendered 246 weapons at a police station in Imphal. Even though many of these so-called surrendered arms are country-made guns, there is neither a persistent follow-up action after the second deadline passed on March 6, nor any serious attempt to nab and prosecute defaulting individuals under the Arms Act.

An incremental approach such as this may be the key to gradually stabilising law and order. However, the easy and abundant availability of arms and ammunition in the hands of armed groups in the State is likely to perpetuate the ethnic security dilemma even as there is no sustained and credible security guarantee from the State. The reluctant imposition of President's Rule on February 13, 2025 as a convenient escape route to an imminent and inglorious fall of the Bharatiya Janata Party government, after an open revolt within its ranks, and the change of political guard in the State seems to have signalled a subtle, yet stern, message to armed groups across the divide that violence is not going to be tolerated.

#### Looking ahead

A halting, yet incremental return to normalcy may, however, impel serious political engagements with rival stakeholders in ways that simultaneously accommodate legitimate demands and promote trust and legitimacy to state institutions. As rival parties respectively commemorated May 3 as 'separation day' and a 'day of remembrance and reflection' to push their divergent political agendas, breaking the political impasse and stabilising law and order require substantive policy reorientations that transcend political optics and regime consolidation.

The views expressed are personal





# Paper 03 : आंतरिक सुरक्षा

UPSC Mains Practice Question: पूर्वोत्तर के प्रति भारत की सीमा सुरक्षा नीति पुराने दृष्टिकोण से ग्रस्त है, जो बाड़ लगाने और नियंत्रण को जुड़ाव और विश्वास निर्माण से अधिक प्राथमिकता देती है। भारत-म्यांमार सीमा के संदर्भ में और क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीति के लिए इसके निहितार्थों पर चर्चा करें। (250 words)

#### संदर्भ :

मई 2023 से जारी मिणपुर जातीय संघर्ष बड़े पैमाने पर मानवीय पीड़ा, विस्थापन और हिंसा का कारण बन रहा है। 250 से ज़्यादा लोगों की जान जाने और हज़ारों लोगों के विस्थापित होने के बावजूद, केंद्र सरकार की खामोश प्रतिक्रिया, जिसमें प्रधानमंत्री का राज्य का दौरा करने से इनकार करना भी शामिल है, संकट को दी जाने वाली राष्ट्रीय प्राथमिकता की कमी को दर्शाता है। लेख मिणपुर और व्यापक रूप से पूर्वोत्तर के प्रति केंद्र सरकार के केंद्रीकृत, दिखावटी और सुरक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण की आलोचना करता है।

#### मुख्य मुद्देः

#### 1. राजनीतिक उपेक्षा और असंगत प्राथमिकताएँ:

- o आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं (जैसे पहलगाम हमला) पर सरकार की तत्काल प्रतिक्रिया मणिपुर में आंतरिक जातीय संघर्ष की उपेक्षा के विपरीत है।
- o मणिपुर के संकट को कश्मीर जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा हॉटस्पॉट की तुलना में परिधीय माना जाता है।

### 2. पूर्वोत्तर के प्रति सुरक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण:

- o पूर्वोत्तर के साथ दिल्ली का जुड़ाव ऐतिहासिक रूप से समावेशी शासन के बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा और शासन सुदृढ़ीकरण से प्रेरित है।
- o आक्रामक सैन्य कार्रवाई को सही ठहराने के लिए सीमा पार के खतरों (जैसे, कथित 900 कुकी उग्रवादियों) को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का प्रयास किया गया है, जिसमें अक्सर विशिष्ट जातीय समुदायों को निशाना बनाया जाता है।

## 3. बहुसंख्यक असुरक्षा और राज्य की मिलीभगत:

- o घाटी-आधारित नागरिक समाज और मिलिशिया समूहों ने कुकी-ज़ोमी-हमार गांवों के खिलाफ हमलों को सही ठहराने के लिए "राष्ट्रीय सुरक्षा" की बयानबाजी को हथियार बनाया है।
- o कानून और व्यवस्था को अनौपचारिक रूप से घाटी-आधारित विद्रोही समूहों (VBIGs) जैसे विद्रोही समूहों को आउटसोर्स किया गया है।

#### 4. अप्रचलित और गुमराह करने वाली सुरक्षा नीतियाँ:

o म्यांमार के साथ 31,000 करोड़ रुपये की सीमा बाड़ लगाने की योजना को पुराना माना जा रहा है और यह सीमा पार जातीय समूहों (जैसे, नागा, मिज़ो) की सांस्कृतिक और आर्थिक वास्तविकताओं के साथ मेल नहीं खाती है।





o मुक्त आवागमन व्यवस्था (FMR) को रद्द करना भारत की एक्ट ईस्ट नीति को कमजोर करता है और सीमावर्ती समुदायों को अलग-थलग करता है।

### निरस्त्रीकरण और कानून प्रवर्तन में विफलताएँ:

- 6,000 से अधिक हथियार लूटे जाने के बावजूद, केवल लगभग 4,000 ही बरामद किए गए हैं, जो अक्सर प्रतीकात्मक या पुराने हथियार होते हैं।
- स्वैच्छिक हथियार समर्पण की घटनाएँ (जैसे, अरम्बाई टेंगोल द्वारा) सार्थक विसैन्यीकरण सुनिश्चित करने के बजाय राजनीतिक आकर्षण के लिए मंच-प्रबंधित की गई हैं।
- शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोजन की कमी राज्य की विश्वसनीयता को और कम करती है।

### राष्ट्रपति शासन और राजनीतिक नतीजे:

- फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लागू करना संघर्ष को हल करने के लिए एक सक्रिय कदम से ज़्यादा भाजपा सरकार के राजनीतिक पतन की प्रतिक्रिया थी।
- केंद्र सरकार का दृष्टिकोण वास्तविक शांति स्थापना की तुलना में शासन को बचाए रखने की रणनीति को दर्शाता है।

#### आगे की ओर देखना: समाधान का रास्ता

- धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में वापसी से सभी हितधारकों के साथ गंभीर राजनीतिक संवाद संभव हो सकता है।
- नीति में ठोस बदलाव की जरूरत है जो:
  - o सैन्य दृष्टिकोण से आगे बढे
  - o विकेंद्रीकृत संघीय भागीदारी को प्रोत्साहित करे
  - o विश्वास निर्माण, समावेशी शासन और वास्तविक सत्ता-साझाकरण को बढ़ावा दे
  - o शामिल सभी समुदायों की ऐतिहासिक शिकायतों और आकांक्षाओं को पहचाने

#### मुख्य विश्लेषण:

- आंतरिक संघर्ष क्षेत्रों में केंद्र-राज्य संबंध
- संघर्ष समाधान में सुरक्षा बनाम मानवाधिकार
- राष्ट्रपति शासन और राजनीतिक जवाबदेही की भूमिका
- पूर्वीत्तर भारत में शांति निर्माण तंत्र की विफलता
- अप्रचलित सुरक्षा बुनियादी ढांचे का प्रभाव (जैसे, बाड़ लगाना, पुरानी आतंकवाद विरोधी रणनीति)
- सशस्त्र मिलिशिया समूहों की भूमिका और उन्हें हटाने में विफलता
- जातीय सुरक्षा दुविधा और आंतरिक सुरक्षा के लिए इसके निहितार्थ
- राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम क्षेत्रीय स्वायत्तता की दुविधा

#### निष्कर्ष:

 मणिपुर संकट गहरी शासन किमयों, टूटे हुए संघीय समझौते और युद्धरत समुदायों के बीच विश्वास बनाने में विफलता को उजागर करता है। जब तक नई दिल्ली अपने दिखावे से प्रेरित और सुरक्षा-प्रथम दृष्टिकोण को नहीं छोड़ती, मणिपुर में शांति का मार्ग अवरुद्ध रहेगा। किसी भी स्थायी समाधान के लिए समग्र राजनीतिक समझौता, समावेशी संवाद और प्रशासनिक जवाबदेही महत्वपूर्ण हैं।